I

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3288/2022

डॉ0 राहुल सैनी —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.09.2022

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार सैनी उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी प्रमुख विशेषज्ञ(टी.बी.) के पद पर टी.बी. चिकित्सालय, जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की जन्म दिनांक 16.09.1960 की है। उसकी सेवानिवृति दिनांक 30.09.2022 को है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में वर्तमान में चल रहे मात्र 1 माह का समय शेष है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का सीएचसी जहांजपुर जिला भीलवाडा में स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन है कि राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 में प्रावधान कर रखा है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को है, 2 वर्ष पूर्व प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इसका आशय है कि सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाते हैं ताकि कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर उसके परिलाभों का यथासमय भुगतान हो सके। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य वगैरह, नामक सिविल याचिका संख्या 14577/2016 में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अनुचितयुक्त माना है एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान, जयपुर